

6/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 08/19

तारीख रज्जू- 16/07/19

बत्तीलाल मीना पुत्र श्री माधोलाल मीना जाति मीना उम्र 45 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम रामड़ी  
का टापरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।  
-अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा।

-रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 26.7.19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 01/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21/06/2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम तिन्दु के आराजी ख0नं0 464 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0नाली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस में भी अपीलान्त के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है, साथ ही अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 21/06/19 को निर्णय पारित किया गया है, जबकि पत्रावली के संलग्न गिरफ्तारी वारण्ट निर्णय से पूर्व दिनांक 20/06/19 को ही जारी कर दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित नहीं किया है। क्योंकि निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी वारण्ट जारी नहीं किया जा सकता है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19/02/18 को अपनी खातेदारी भूमि खं0नं0 465 व 466 का सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन तहसीलदार द्वारा आदिनांक तक उक्त वाद आराजीयात का सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की...

अपीलान्ट द्वारा गै0मु0नाली की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। उक्त वाद आराजीयात अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खं0नं0 465 व 466 से लगती हुई होना बताया है तथा उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत करना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21/06/2019 को निर्णय पारित किया गया है। जबकि पत्रावली में संलग्न गिरफ्तारी वारन्ट निर्णय से एक दिन पूर्व दिनांक 20/06/2019 को ही जारी कर दिया गया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई दस्तावेज/साक्ष्य/सबूत संलग्न नहीं किए हुए है। जिससे यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी का उक्त वाद-आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण था अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में मेरे अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/06/2019 निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खं0नं0 465 व 466 का सीमाज्ञान करवाया जाकर उक्त वाद-आराजीयात की मौके पर जांच की जावे, यदि मौके पर अपीलार्थी का खं0नं0 464 पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के कब्जे में लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.7.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाईमाधोपुर